रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072020-220492
CG-DL-E-13072020-220492

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/आषाढ़ 22, 1942
No. 339] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

संख्या 56/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 442(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 की उपधारा (2), और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 28.01.2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 28.01.2020 के तहत प्रकाशित किया गया था,में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,अनुसूची में,-

(i) अध्याय –29 में,-

(क) टैरिफ मद 292205 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 2930 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2930	कार्बन -सल्फर यौगिक			
293001	विनाइल सल्फॉनएस्टर	कि.ग्रा.	3.8%	47.1
293099	अन्य		1.3%";	

(ii) अध्याय –64 में,-

(क) टैरिफ मद 640301 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "145" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 640305 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "130" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 640307 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "73" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 640309 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "81" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) टैरिफ मद 640311 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.2%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "148" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) टैरिफ मद 640312 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.9%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "114" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) अध्याय –71 में,-

(क) टैरिफ मद 711301 के समक्ष, कालम (4) में,"372.9" अंकों के लिए,"431.1" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मदों 711302 और 711401 के समक्ष, कालम (4) में,"4332.2" अंकों के लिए,"4105.6" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) अध्याय –87 में,

(क) टैरिफ मद 870301 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1000cc से कम सिलेंडर क्षमता की मोटर कारें" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 870303 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1000cc की और ऊपर तथा 1200cc तक सिलेंडर क्षमता की मोटर कारें" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 870305 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1200cc की और ऊपर तथा 1500cc से कम सिलेंडर क्षमता की मोटर कारें" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 870307 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1500cc और उससे ऊपर सिलेंडर क्षमता की मोटर कारें" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 609/18/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्णा झा, निदेशक (ड्राबैक)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमा शुल्क (गै.टै), दिनांक 28.01.2020, को भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), दिनांक 28.01.2020 सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 28.01.2020, के तहतमें प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

No. 56/2020- CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 442(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 07/2020- Customs (N.T.), dated the 28th January 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 55(E), dated the 28th January 2020, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(i) in Chapter - 29,-

(a) tariff item 292205 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) for tariff item 2930 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

"2930	Organo-sulphur compounds			

293001	Vinyl Sulphone Ester	Kg	3.8%	47.1
293099	Others		1.3%";	

(ii) in Chapter - 64,-

(a) against tariff item 640301,-

(i) for the entry in column (4), the entry "5.4%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "145" shall be substituted;

(b) against tariff item 640305,-

(i) for the entry in column (4), the entry "5.4%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "130" shall be substituted;

(c) against tariff item 640307,-

(i) for the entry in column (4), the entry "5.4%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "73" shall be substituted;

(d) against tariff item 640309,-

(i) for the entry in column (4), the entry "5.4%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "81" shall be substituted;

(e) against tariff item 640311,-

(i) for the entry in column (4), the entry "6.2%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "148" shall be substituted;

(f) against tariff item 640312,-

(i) for the entry in column (4), the entry "5.9%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "114" shall be substituted;

(iii) in Chapter - 71,-

(a) against tariff item 711301, in column (4), for the figures "372.9", the figures "431.1" shall be substituted;

(b) against tariff items 711302 and 711401, in column (4), for the figures "4332.2", the figures "4105.6" shall respectively be substituted;

(iv) in Chapter - 87,

(a) against tariff item 870301, for the entry in column (2), the entry "Motor cars of a cylinder capacity less than 1000cc with manual transmission or automated manual transmission" shall be substituted;

(b) against tariff item 870303, for the entry in column (2), the entry "Motor cars of a cylinder capacity of 1000cc and above and up to 1200cc with manual transmission or automated manual transmission" shall be substituted;

(c) against tariff item 870305, for the entry in column (2), the entry "Motor cars of a cylinder capacity exceeding 1200cc but less than 1500cc with manual transmission or automated manual transmission" shall be substituted;

(d) against tariff item 870307, for the entry in column (2), the entry "Motor cars of a cylinder capacity of 1500cc and above with manual transmission or automated manual transmission" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 15th day of July 2020.

[F. No. 609/18/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note: The principal notification No. 07/2020-Customs (N.T.),dated the 28th January 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28thJanuary 2020 *vide* number G.S.R. 55 (E), dated the 28th January 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.13 21:13:39 +05'30'